मिसल मुकदमा दावा 88/13/[illegible] — 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	उभयपक्षों को केस कोर्ट में तुलाया गया। पत्रावली तथा पत्रावली में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। केस कोर्ट में उपस्थित नु पुर्णास आदमियों से जानकारी की गई। गोविन्दा की विवाहिता पहली पत्नि मूली निवासी रुकनावे, कजोड़ी व दानों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 पैदा होना बताया गया। दूसरी पत्नि चैनी निवासी से कजोड़ पैदा होना बताया गया है। प्रतिवादी घासी ने न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा में दायर अपील संख्या 79/08 निर्णय दिनांक 31-7-2008 की प्रति पेश की है, जिसमें प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार की जाकर कजोड़ द्वारा खुलवाया गया 1/2 हिस्से का नामान्तरण संख्या 49/1 दिनांक 2-2-01 को खारिज किया जाकर तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया गया था। तहसीलदार दौसा ने उभयपक्षों की विधिवत सुनवाई की जाकर मृतक गोविन्दा की भूमि का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में खोलने का आदेश दिनांक 13-7-12 को दिया गया है। वादी कजोड़ आत्मज स्वर्गीय गोविन्दा [illegible] जो कि गोविन्दा की भूमि में अपना 1/2 हिस्सा चाहता है। प्रतिवादी घासी, कजोड़ को अपना भाई नहीं मानता है। कजोड़ को केवल राम का पुत्र मानता है। घासी ने अपने कथन की पुष्टि में पंचायत सूरजपुरा का प्रमाण-पत्र दिनांक 12-3-14 पेश किया है, जिसमें (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर दौसा	

न्याय आपके द्वार 2019

गोविन्दा का उत्तराधिकारी प्रार्थी एवं तीन पुत्रियां होना बतलाया गया है। प्रार्थी ने कार्यालय ग्राम पंचायत मांकरी के लेटर पैड पर जारी किए प्रमाण-पत्र दिनांक 6-7-17 पेश किया है जिसमें अंकित किया गया है कि कजोड़ पुत्र रामकरण मीणा नि. ग्राम खुरपुरा के नाम से वर्ष 1980-81 में पट्टा नं. संख्या 460 जारी करना तथा वर्ष 1992-93 में भी इस भाग के ग्राम पंचायत के कम्प्यूटर रजिस्टर में क्रम संख्या 679 पर परिवार का जारी करना बतलाया गया है। ग्राम खुरपुरा के पंच घनश्याम के द्वारा 5 रुपये स्टाम्प पर शपथ-पत्र पेश किया है, जिसमें प्रार्थी के पिता गोविन्दा के जिम्मे पगड़ी दस्तूर तथा प्राचीन प्रार्थी द्वारा करना बतलाया गया है तथा प्रार्थी के अलावा कोई दूसरा लड़का होना नहीं बतलाया गया है।

वादी प्रार्थी द्वारा अपने वाद की पुष्टि में आधार कार्ड पहचान-पत्र तथा निर्वाचक नामावली वर्ष 2014 पेश की है जो नवीनतम दस्तावेज है, जो गोविन्दा की मृत्यु के पश्चात बनाये गये हैं, जो न्यायालय की दृष्टि में होना संदेहास्पद है। गोविन्दा की मृत्यु करीब 2001 से पूर्व ही हो गयी थी।

वादी कजोड़ को मृतक गोविन्दा के उत्तराधिकारी घोषित करने से सम्बन्धित है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट देने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः वादी द्वारा अपने वाद की पुष्टि में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्याय आपके द्वार 2018 कोई मुकदमा दस्तावेजात व सबूत पेश नहीं किये तथा उत्तराधिकारी होकर भी [illegible] न्यायालय में नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय आज खुले अदालत कैम्प मौके स्वरूपपुरा के सामने आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया। [signature] सहायक कलेक्टर टोंक	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत..... मुकाम.....

ब इजलास.....

.....बनाम.....

दावा बाबत.....

मुकदमा नं. ..... सन्.....

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू..... व हाजिरी..... मिनजानिब मुद्दई रूबरू.....

.....मिनजानिब व मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

निज..... मुबलिग..... बाबत.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से, तारीख अदायगी तक..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... माह..... सन्.....

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					